क्रम-संख्या--527

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 22 अक्टूबर, 1981

आश्विन 30, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या-2587/सत्रह-वि-113-81

दिनांक : 22 अक्टूबर, 1981

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 20 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर दिनांक 20 अक्टूबर, 1981 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1981 के रूप में सवसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र(सुधार और निपातन) (संशोधन) अधिनियम, 1981

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1981)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

(2) यह 14 अगस्त, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1962 की धारा 18 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 18 में अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—जहां किसी भवन या उसके भाग या खाली भूमि को इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को आवंटित किया जाना हो, वहां सक्षम प्राधिकारी उसे आवंटिती को ऐसी अवधि के लिए और ऐसे किराये और ऐसी अन्य शर्तों पर, जैसी नियत की जायं, पट्टे पर दे सकता है।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 2587(2)/XVII-V-1—113-81
Dated Lucknow, October 22, 1981

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Malin Basti Kshettra (Sudhar Aur Nipatan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1981 (Uttar Praded Adhiniyam Sankhya 18 of 1981), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 20, 1981:

THE UTTAR PRADESH SLUM AREAS (IMPROVEMENT AND CLEARANCE) (AMENDMENT) ACT, 1981

[U. P. ACT NO. 18 OF 1981]

(AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE)

AN
ACT

to amend the Uttar Pradesh Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1962.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Slum Areas (Improvement and Clearance) (Amendment) Act, 1981.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 14, 1981.

Amendment of section 18 of U. P. Act no. 18 of 1962.

2. In section 18 of the Uttar Pradesh Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1962, hereinafter referred to as the principal Act, the following explanation shall be *inserted* at the end, namely :—

"*Explanation*—Where a house or part thereof, or vacant land is to be allotted to any person under this Act, the Competent Authority may lease out the same to the allotee for such period and on such rent and other conditions as may be prescribed."

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Slum Areas (Improvement and Clearance) (Amendment) Ordinance, 1981 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 151 सा० (विधा०) -22-10-81-(2354)-1981-700 (मेक०)।